Chandel Singh

2-7-15

170
10.09.15

वाद संख्या - [illegible]
नकल आदेश दि० 04.09.15 न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर
प्रतापगढ़ [illegible]
दलीप सिंह [illegible] सरकार
अन्तर्गत धारा 143 A एक्ट
[illegible] जिला [illegible]
[illegible]

नोट: [illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

वाद सं0– T-20150257032968 सन्–2019

श्रीमती रेखा सिंह प्रति सरकार,

ग्राम–भुवालपुर किला, परगना तहसील सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

अन्तर्गत धारा–143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधिनियम,

निर्णय

श्रीमती रेखा सिंह पत्नि सन्दीप सिंह निवासी ग्राम–240/डी/4ए फाफामउ तहसील सोरांव द्वारा जय माँ वैष्णो मानव उत्थान सेवा ट्रस्ट ग्राम–भुवालपुर किला पो0 कटरा मेदनीगंज परगना व तहसील सदर जनपद–प्रतापगढ़ द्वारा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम– भुवालपुर किला परगना व तहसील सदर जनपद–प्रतापगढ़ की खसरा संख्या–312 क्षेत्रफल 1.089 हे0 में खेती नहीं की जा रही है तथा आस–पास आवादी स्थित है। अतएव इसे अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी जिन्होंने अपनी आख्या दिनांक 30.11.2018 में अंकित किया है कि ग्राम– भुवालपुर किला की खसरा संख्या–312 क्षेत्रफल 1.089हे0 पर कृषि कार्य नहीं होता है तथा आस–पास आवादी स्थित है। आवेदक द्वारा यह भूमि विक्रयपत्र के आधार पर प्राप्त की गयी है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के हस्ताक्षरयुक्त उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 नियमावली नियम–135 की आख्या भी संलग्न है। आवेदक/लेखपाल द्वारा विवादित स्थल का छायांकन भी प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम– भुवालपुर किला परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की खाता खतौनी वर्ष 1419–1424 फसली के खाता सं0–281 के खसरा संख्या–312 क्षेत्रफल 1.089हे0 पर वादीगण का नाम संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी के अन्तर्गत सहखातेदार के रुप में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार संक्रमणीय भूमि के खाते में अंकित रही है। खसरा सं0–312 क्षेत्रफल 1.089हे0 में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार खसरा सं0 312 क्षेत्रफल 1.089हे0 क्षेत्रफल कृषि से इतर प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है जिसको अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम– भुवालपुर किला परगना व तहसील सदर जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खाता सं0–281 के खसरा संख्या–312 क्षेत्रफल 1.089हे0 क्षेत्रफल के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 30.11.2018 व लेखपाल का स्थलीय अनुकृति आदेश का अंग होगा। किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। तद्नुसार उक्त नियमावली के नियम–136 के अन्तर्गत परवाना अमल दरामद निर्गत हो। जिसकी प्रति नियम 137 के अधीन अनुपालन हेतु उप निबंधक सदर को भी भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार निक्षेपित की जाय।

दिनांक–

(जे0 पी0 मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
सदर, प्रतापगढ़।

उक्त आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(जे0 पी0 मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
सदर, प्रतापगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर
प्रतापगढ़